

भारत का वधिआयोग

उच्च न्यायालय के सेवानवित्त मुख्य न्यायाधीश रतिराज अवस्थी को वर्ष 2020 में गठित भारत के 22वें वधिआयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

भारत का वधिआयोग:

परिचय:

- भारत का वधिआयोग समय-समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर-सांवधिक निकाय है।
 - स्वतंत्र भारत का पहला वधिआयोग वर्ष 1955 में तीन साल के कार्यकाल के लिये स्थापित किया गया था।
 - पहला वधिआयोग वर्ष 1834 में ब्रिटिश राज काल के दौरान वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी।

उद्देश्य:

- यह कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है।
- वधिआयोग का कार्य कानून संबंधी अनुसंधान और भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना है ताकि इसमें सुधार किया जा सके एवं केंद्र सरकार या स्व-प्रेरणा द्वारा इसके संदर्भ में नए कानून बनाए जा सकें।

सदस्य संरचना:

- एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के साथ-साथ आयोग में एक सदस्य-सचिव सहित और चार पूर्णकालिक सदस्य होते हैं।
- कानून मंत्रालय का कानून और वधिआयोग का पदेन सदस्य होगा।
- इसमें अंशकालिक सदस्यों की संख्या पाँच से अधिक नहीं होगी।
- सर्वोच्च न्यायालय का सेवानवित्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस आयोग का अध्यक्ष होगा।

आयोग की मुख्य सफारिशें:

- वधिआयोग ने अपनी 262वीं रिपोर्ट में आतंकवाद से संबंधित अपराधों और राज्य के खिलाफ युद्ध को छोड़कर सभी अपराधों के लिये [मृत्युदंड](#) की सज़ा को समाप्त करने की सफारिश की।
- चुनावी सुधारों पर इसकी रिपोर्ट (वर्ष 1999) में शासन में सुधार एवं स्थिरता के लिये [लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ](#) कराने का सुझाव दिया गया था।
- वधिआयोग ने देश में [समान नागरिक संहिता \(UCC\)](#) को लागू करने की भी सफारिश की थी।
- कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 की जगह लागू [आपराधिक प्रक्रिया \(पहचान\) अधिनियम, 2022](#) को भी भारत के वधिआयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

स्रोत: द हिंदू